



सा०/No. : 5-1(33)/2008-PD

दिनांक/Dated: 19.07.2018

प्रेषक / From :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान  
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

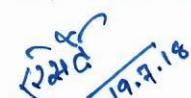
महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी की गई निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

| Sl. No. | Office Memorandum No.                                                                                                                                                                                                                                         | Subject                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | भारत सरकार, कर्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/3/2016.स्था.क-IV दिनांक 16.05.2018<br><br>Govt. of India, MoP, PG&P, Department of Personnel & Training OM No. 31011/3/2016-Estt.A-IV dated 16.05.2018 | छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई जहाज की यात्रा की हकदारी नहीं रखने वाले सरकारी कर्मचारियों के पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए हवाई यात्रा किराया की स्वीकार्यता के स्पष्टीकरण के संबंध में ।<br><br>Admissibility of air fare for children below the age of 5 years of the Government servants non-entitled to travel by air on LTC – clarification reg. |

भवदीय/Yours faithfully

  
(सिद्धार्थ दे / Siddhartha Dey)

अनु. अधि. (नीति प्रभाग)/ SO(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस कार्यालय ज्ञापन को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ / Head, IT Division with the request to make this OM available on the website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.

No. 31011/3/2016-Estt.A-IV  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Personnel & Training  
Establishment A-IV Desk  
\*\*\*

North Block New Delhi.  
Dated May 16, 2018

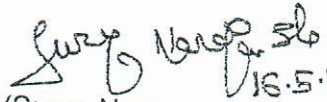
OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Admissibility of air fare for children below the age of 5 years of the—  
Government servants non-entitled to travel by air on LTC – clarification reg.**

The undersigned is directed to invite reference to Department of Personnel & Training's O.M. No. 31011/2/2006-Estt.A dated 24.4.2006, 21.05.2007 and 03.12.2007 which stipulates that a non-entitled Government servant is allowed to travel by air while availing LTC provided that the reimbursement made in such cases is restricted to the train fare of entitled class. In this regard, it may be noted that while no fare is charged by Railways for a child below the age of 5 years travelling by train, airlines charge full air fare for child of 2 years of age and above.

2. This Department is in receipt of references from various Ministries/Departments seeking clarification on reimbursement of LTC claim in a situation where a child of a non-entitled Government servant, aged less than 5 years, travels by air on LTC and entitled train fare is claimed by that Government employee in respect of his/her child

3. The matter has been examined and it is clarified that since children below the age of 5 years are not charged for rail journeys, no reimbursement shall be made in respect of the air journey performed by children, aged less than 5 years, of the Government servants who are not entitled to travel by air on LTC. It may be noted that this provision shall not be applicable for the segments where the air journey has been allowed to the non-entitled Government servants and their families under the special dispensation scheme, existent from time to time.

  
(Surya Narayan Jha)  
16.5.18

Under Secretary to the Government of India

The Secretaries  
All Ministries/Departments of Government of India  
(As per the standard list)

Copy to:-

1. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
2. Union Public Service Commission, New Delhi.

Obtd...

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्था. क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 16 मई, 2018

कार्यालय जापन

विषय : छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई जहाज की यात्रा की हकदारी नहीं रखने वाले सरकारी कर्मचारियों के पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए हवाई यात्रा किराया की स्वीकार्यता के स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24.04.2006, 21.05.2007 और 03.12.2007 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 31011/2/2006-स्था.(क) के संबंध में ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जो यह निर्धारित करता है कि छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ लेते समय गैर-हकदार सरकारी कर्मचारी हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसे मामलों में की गई प्रतिपूर्ति कर्मचारी की हकदारी की श्रेणी के रेल किराए तक सीमित होगी। इस संबंध में यह नोट किया जाए कि रेल द्वारा यात्रा करने पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेलवे द्वारा कोई किराया नहीं लिया जाता है जबकि एअर लाइन्स सेवाओं द्वारा दो वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए पूरा किराया लिया जाता है।

2. इस विभाग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें ऐसी स्थिति में छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) दावे की प्रतिपूर्ति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है जहां एक गैर-हकदार सरकारी सेवक का पांच वर्ष से कम उम्र का बच्चा छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई जहाज से यात्रा करता है और सरकारी सेवक द्वारा अपने बच्चे के संबंध में उसकी हकदारी के रेल यात्रा किराए का दावा किया जाता है।

3. इस मामले की समीक्षा की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि क्योंकि पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेल यात्रा का कोई किराया नहीं लिया जाता है, अतः छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई जहाज की यात्रा की हकदारी नहीं रखने वाले सरकारी कर्मचारियों के पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा की गई हवाई यात्रा के संबंध में कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। यह भी नोट किया जाए कि यह प्रावधान उन यात्रा खंडों पर लागू नहीं होंगे जहां समय-समय पर विद्यमान विशेष छूट स्कीमों के अंतर्गत गैर-हकदार सरकारी सेवकों और उनके परिवारों को हवाई यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है।

सूर्य नारायण झा  
15.5.18  
(सूर्य नारायण झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सचिव

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

(मानक सूची के अनुसार)

प्रति :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।